रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082025-265398
CG-DL-E-13082025-265398

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3586] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2025/श्रावण 21, 1947
No. 3586] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2025/SHRAVANA 21, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

का.आ. 3678(अ).—वर्ष 2017 (2017 का 21) में और वर्ष 2023 में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के वर्ष 2023 की सं. 18 के माध्यम से यथासंशोधित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2024 के नियम 5 और 7 के साथ पठन करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एतद्वारा विनिर्माण प्रतिष्ठानों से सांख्यिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से डब्ल्यूपीआई 2011-12 की मूल्य सूचना और थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) / उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) / औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 2022-23 की आगामी श्रृंखला के लिए मूल्य और उत्पादन सूचनाओं के संग्रहण का निर्देश देता है, जिसे आगे अनुसूची-I में उल्लिखित विवरण के अनुसार 'डब्ल्यूपीआई 2011-12 के लिए मूल्य सूचनाओं और डब्ल्यूपीआई/पीपीआई/आईआईपी 2022-23 की नई श्रृंखला के लिए मूल्य और उत्पादन सूचना' के संग्रहण के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

2. मंत्रालय ने पूर्वोक्त निर्देश के संदर्भ में उल्लिखित भौगोलिक इकाइयों हेतु **अनुसूची II** में उल्लिखित व्यक्तियों और उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को सांख्यिकी अधिकारी, **अनुसूची III** में उल्लिखित व्यक्तियों को न्यायनिर्णयन अधिकारी और **अनुसूची-IV** में उल्लिखित व्यक्तियों को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी, न्यायनिर्णयन अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित प्रारूप अर्थात् सांख्यिकी नियम, 2024 के साथ संलग्न प्ररूप-1 में एक वचनबद्धता अपर महानिदेशक, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, दिल्ली को तत्काल प्रस्तुत करेगा।

3. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, सांख्यिकी अधिकारी को निर्धारित प्रारूप अर्थात् सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2024 के साथ संलग्न प्रपत्र-1 में वचनबद्धता प्रस्तुत करने के पश्चात्, सांख्यिकी अधिकारी के भौगोलिक क्षेत्राधिकार में सूचनादाताओं द्वारा दी गई सूचना के सत्यापन, सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण करने तथा सूचनादाताओं से आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त करने के कार्य में लगाए जाएंगे। इन कर्तव्यों के अनुरूप, प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति अपने साथ एक फोटो पहचान पत्र तथा संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र रखेगा। सांख्यिकी अधिकारी अधिकृत व्यक्तियों की वचनबद्धताओं को अपनी सुरक्षित निगरानी में रखेगा तथा अपर महानिदेशक, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, दिल्ली के कार्यालय से उपरोक्त वचनबद्धताओं को प्राप्त करने का प्रमाण पत्र अग्रेषित करेगा।

4. डब्ल्यूपीआई 2011-12 और डब्ल्यूपीआई/पीपीआई/आईआईपी 2022-23 की नई श्रृंखला के लिए मूल्य और उत्पादन सूचना संग्रहण हेतु अनुसूची में संग्रहित किए गए आंकड़ों को उचित सत्यापन और जांच के बाद, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय में कार्य करने वाले अधिकारियों द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। वर्ष 2017 में (2017 का 21) और 2023 में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023, वर्ष 2023 की सं. 18 के माध्यम से यथासंशोधित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2024 के अध्यधीन इकाई स्तर के आंकड़े और सांख्यिकीय तकनीकों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों से सृजित रिपोर्टों को आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा जाता है और सरकार के मौजूदा नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार के भीतर और बाहर के उपयोगकर्ताओं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और जनता के लिए और उपलब्ध कराया जा सकता है।

5. डब्ल्यूपीआई 2011-12 और डब्ल्यूपीआई/पीपीआई/आईआईपी 2022-23 के संबंध में आंकड़ों के संग्रहण, आंकड़ों को प्रोसेस करने और उन्हें उपलब्ध कराने के संबंध में किसी भी कार्यकलाप में लगे सभी व्यक्ति, वर्ष 2017 में और वर्ष 2023 में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023, 2023 का 18 के माध्यम से यथासंशोधित (2017 का 21) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2024 के तहत किए गए प्रावधानों द्वारा प्रशासित होंगे।

6. **सांख्यिकी अधिकारियों को निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं:**

(क) सांख्यिकी अधिकारी को, पूर्वोक्त निर्देश के संबंध में सांख्यिकी संग्रहण करने, व्यावसायिक अभिलेखों और अन्य अभिलेखों के आधार पर सूचना दाताओं द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने और किसी भी कारखाने या प्रतिष्ठान या प्रबंधन के स्वामी या अधिभोगी या उस परिसर में जहां ऐसे अभिलेख रखे जाते हैं, का प्रभारी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, से स्पष्टीकरण मांगने के लिए अधिकारियों को प्रतिनियुक्त/प्राधिकृत करने का अधिकार है। सांख्यिकी अधिकारी को किसी भी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अधिकारियों को प्रतिनियुक्त/प्राधिकृत करने का भी अधिकार है, जो उन कारखानों/प्रतिष्ठानों में से किसी से भी सांख्यिकी संग्रहण करने के लिए इच्छुक हैं, जिसके लिए सांख्यिकी अधिकारी ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किसी भी अधिकारी को प्रतिनियुक्त/प्राधिकृत नहीं किया है।

(ख) सांख्यिकी अधिकारी को सांख्यिकी संग्रहण के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूप में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक सूचनादाता को एक माह अथवा उचित समझी जाने वाली अवधि का नोटिस देने का अधिकार है।

(ग) सांख्यिकी अधिकारी को किसी भी सूचनादाता को, वेब आधारित एप्लीकेशन/पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिटर्न प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करने का अधिकार है, जिसकी अवधि सूचनादाता को जारी किए जाने वाले नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी।

न्यायनिर्णयन अधिकारी की शक्तियां:- अधिनियम की धारा 15क के तहत जांच करने और जुर्माना लगाने के लिए नियुक्त न्यायनिर्णयन अधिकारी के पास निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी-

(i) पक्षकारों से शपथ या हलफनामे पर मौखिक या लिखित साक्ष्य मांगना, जिसमें समन किया गया कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है;

(ii) संबंधित दस्तावेजों, अभिलेखों या उनकी प्रतियों का अवलोकन या जांच करना;

(iii) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना। जिला प्रशासन सहित कोई भी उपयुक्त एजेंसी अधिनियम के तहत नियुक्त न्यायनिर्णयन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में संदर्भ प्राप्त होने पर सहायता प्रदान करेगी।

न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील:-

(1) समुचित सरकार, न्यायनिर्णयन अधिकारी के पद से ऊपर के पद के अपने किसी भी अधिकारी को इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, अपीलीय प्राधिकारी को प्रपत्र-III में अपील दायर कर सकता है।

(3) तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी अपील स्वीकार की जा सकेगी, यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को इस बात के लिए सहमत कर ले कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था। यदि अपील न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध की गई है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश का क्रियान्वयन, अपील के निपटान तक स्थगित रखा जाएगा।

(4) जब कभी ऐसी अपील प्राप्त होती है, तो अपीलीय प्राधिकारी, व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल रूप से या किसी अन्य स्वीकार्य तरीके से जैसा कि अपील प्राधिकारी द्वारा तय किया जाए, सुनवाई करेगा।

(5) अपीलीय प्राधिकारी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों सहित पक्षकारों को, सुनवाई की निर्धारित तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व सुनवाई की सूचना जारी करेगा जिसमें नाम, तारीख, स्थान और सुनवाई के तरीके के साथ-साथ अपील की प्राप्ति के संगत दस्तावेजों का उल्लेख होगा।

(6) सुनवाई की सूचना में यह प्रावधान भी किया जा सकता है कि, यदि पक्षकार चाहें तो सुनवाई की तारीख से पांच दिन पहले ऐसी लिखित संसूचना प्रस्तुत कर सकते हैं, जो अपील पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक हो।

(7) सुनवाई की सूचना निम्नलिखित तरीकों से दी जाएगी, अर्थात्: -

(i) स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा;

(ii) इलेक्ट्रॉनिक पता उपलब्ध होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा; और भेजे जाने का सबूत केस फाइल में दर्ज किया जाएगा।

(ii) पक्षकार मामले की सुनवाई के समय, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से अपने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है।

(iii) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

अनुसूची-I

आंकड़ों के संग्रह का विषय और उद्देश्य:

1. संगठित विनिर्माण प्रतिष्ठानों से मूल मूल्य /एक्स-फैक्ट्री मूल्य और क्रेता के मूल्य तथा उत्पादन से संबंधित आकड़ों, जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया, मरम्मत, गैस और जलापूर्ति तथा कोल्ड स्टोरेज से संबंधित क्रियाकलाप शामिल हैं, को डब्ल्यूपीआई (2011-12=100) और डब्ल्यूपीआई/पीपीआई/आईआईपी की नई श्रृंखला (2022-23=100) के लिए मासिक सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किया जाता है।

आंकड़ों के संग्रह के लिए भौगोलिक क्षेत्र:

2. डब्ल्यूपीआई 2011-12 की मूल्य सूचना और डब्ल्यूपीआई/पीपीआई/आईआईपी 2022-23 की नई श्रृंखला के लिए मूल्य और उत्पादन संबंधी सूचना का संग्रह पूरे भारत से किया जाता है।

डेटा संग्रह की विधि:

3. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सूचना दाताओं को एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि किस अधिकारी या कार्यालय को, किन इकाइयों के लिए, तथा किस प्रारूप और किस तरीके से सूचना प्रस्तुत की जानी है, जिसमें इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए और नोटिस में

विनिर्दिष्ट निश्चित तिथि तक सूचनाप्रदाताओं को उपलब्ध कराए गए वेब आधारित एप्लिकेशन/पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना प्रस्तुत करना शामिल है।

सूचनाप्रदाताओं की प्रकृति जिनके लिए आंकड़ों की अनुमति प्रदान की जाएगी:

4. सूचनादाता, कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कारखानों या निम्नलिखित अधिनियमों/बोर्डों/प्राधिकरणों जैसे कंपनी अधिनियम, 2013, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग निदेशालय (जिला उद्योग केंद्र) के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठानों के मालिक या अधिभोगी या प्रभारी व्यक्ति हैं, जिन्हें ऊपर उल्लिखित निर्देश के तहत सूचना प्रस्तुत करने के लिए सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा।

5. सांख्यिकी अधिकारी, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में संचालित एक ही प्रबंधन के तहत दो या दो से अधिक कारखानों या प्रतिष्ठानों के बारे में संबंधित मालिक या अधिभोगी या प्रबंधन के प्रभारी व्यक्ति को, यदि कारखानों या प्रतिष्ठानों के संबंध में अलग-अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो समेकित सूचना प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी कर सकता है।

वह अवधि जिसके दौरान आंकड़ों का संग्रह पूरा किया जाएगा:

6. सर्वेक्षण जुलाई, 2025 से शुरू किया जाएगा और यह आधार वर्ष में अगले संशोधन तक जारी रहेगा।

संदर्भ अवधि:

7. निम्नलिखित के लिए सूचना प्रस्तुत की जानी है:

(क) डब्ल्यूपीआई (आधार 2011-12=100): डब्ल्यूपीआई की नई श्रृंखला के शुरुआत तक।

(ख) डब्ल्यूपीआई/पीपीआई/आईआईपी (आधार 2022-23=100): माहवार मूल्य संबंधी आंकड़े अप्रैल 2022 से शुरू होते हुए आधार वर्ष में अगले संशोधन तक।

एकत्रित की जाने वाली सूचना की प्रकृति:

8. संगठित विनिर्माण प्रतिष्ठान से मूल मूल्य/एक्स-फैक्ट्री मूल्य, क्रेता मूल्य और उत्पादन आंकड़ों से संबंधित अपेक्षित सूचना।

सूचनादाता द्वारा दी जाने वाली सूचना की भाषा:

9. सूचनादाता को निर्धारित प्रारूप में हिंदी या अंग्रेजी में, सूचना देनी होगी।

सूचनादाता का दायित्व:

10. किसी कारखाने या प्रतिष्ठान अथवा प्रबंधन का स्वामी या अधिभोगी अथवा प्रभारी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में उल्लिखित तरीके से और निर्धारित तारीख तक जानकारी प्रस्तुत करेगा। उसे निरीक्षण के लिए संगत रिकार्ड भी प्रस्तुत करना होगा और मांगी गई जानकारी के संबंध में प्रश्न का उत्तर भी देना होगा, जैसा कि सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा अपेक्षित हो।

व्यवसायिक रिकार्ड और अन्य रिकार्डों की प्रकृति जिनका निरीक्षण किया जा सकता है:

11. इकाई का व्यावसायिक रिकार्ड, जैसे चालान/जीएसटी बिल (जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीसटी और ई-वे बिल शामिल है) और बैलेंस शीट या दी गई सूचना के समर्थन में किसी भी अन्य दस्तावेज की जांच सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जा सकती है।

निरीक्षण का तरीका:

12. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, उस परिसर में, जहां इकाई के कारोबारी रिकॉर्ड और अन्य रिकॉर्ड रखे गए हैं, उन रिकॉडों के आधार पर उपर्युक्त निर्देश के अन्तर्गत दी गई जानकारी का सत्यापन

कर सकता है और कारखाने या प्रतिष्ठान अथवा प्रबंधन के संबंधित मालिक या अधिभोगी अथवा प्रभारी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, या उसके द्वारा इकाई के अधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

अनुसूची - II

क्रम सं.	सांख्यिकी अधिकारी	क्षेत्राधिकार	पता
1	उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र) लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	एनएसओ (एफओडी), 23 बी/बी गांधी नगर, जम्मू - 180011
2	उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला	हिमाचल प्रदेश	एनएसओ (एफओडी), बोसवेल विला, दीपक प्रोजेक्ट के पास, पोस्ट ऑफिस समर हिल, शिमला - 171005
3	उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, मोहाली	पंजाब	एनएसओ (एफओडी), बिल्डिंग नं. 418, थोक सामग्री बाजार, सेक्टर- 65, फेज - 11, एसएएस नगर, मोहाली - 160065
4	उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	हरियाणा और चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	एनएसओ (एफओडी), छठी मंजिल केंद्रीय सदा, सेक्टर - 9ए, चंडीगढ़ - 160017
5	उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	दिल्ली	एनएसओ (एफओडी), सांख्यिकी भवन, डी-ब्लॉक, चौथी मंजिल, जीपीओए बिल्डिंग, सीबीडी शाहदरा, दिल्ली - 110032
6	उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	राजस्थान	एनएसओ (एफओडी), 70/149-154, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर- 302020
7	उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून	उत्तराखंड	एनएसओ (एफओडी), सी-15, सेक्टर-1, डिफेंस कॉलोनी, देहरादून-248001
8	उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	एनएसओ (एफओडी), आईएनएस – IV, सेक्टर - 11, विकास नगर, रिंग रोड, लखनऊ- 226022
9	उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	मध्य प्रदेश	एनएसओ (एफओडी), विजय स्तंभ, हॉल नंबर 201 और 205, दूसरी मंजिल, एम.पी. नगर, जोन - I, भोपाल - 462011
10	उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	छत्तीसगढ़	एनएसओ (एफओडी), द्वितीय तल, भक्त माता कर्मा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रूम नं. 8- 25, न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर - 492006
11	उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद	गुजरात, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	एनएसओ (एफओडी), शहरी स्वास्थ्य केंद्र के पास, नारायणपुरा पुलिस स्टेशन के पीछे, पुरूषोत्तम नगर, नवा वदाज, अहमदाबाद - 380013

अनुसूची - II			
क्रम सं.	सांख्यिकी अधिकारी	क्षेत्राधिकार	पता
12	उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	महाराष्ट्र	एनएसओ (एफओडी), चौथी मंजिल, ए-2/3 विंग, कोंकण भवन के पास, सीजीओ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई- 400614
13	उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	एनएसओ (एफओडी), 5वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, ऑटोनगर, विजयवाड़ा - 520007
14	उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना	एनएसओ (एफओडी), 293/7 प्रथम तल, आर एंड बी कॉम्प्लेक्स, ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद - 500004
15	उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु	कर्नाटक	एनएसओ (एफओडी), V फ्लोर, ई एंड एफ विंग, केंद्रीय सदन, 17 मेन - दूसरा ब्लॉक, कोरामंगला, बेंगलुरु - 560034
16	उप महानिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु और पुदुच्चेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	एनएसओ (एफओडी), 'बी' विंग, II तल, III ब्लॉक, शास्त्री भवन, हैडोज़ रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नई-600006
17	उप महानिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	केरल और लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	एनएसओ (एफओडी), ब्लॉक बी, ग्राउंड फ्लोर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, पूनकुलम वेल्लयानी पी.ओ., तिरुवनंतपुरम-695522
18	संयुक्त निदेशक/निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी	गोवा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	एनएसओ (एफओडी), सर्वेक्षण भवन, 130 9/1, गोवा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पोरवोरिन, बर्देज़, गोवा-403521
19	उप महानिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	बिहार	एनएसओ (एफओडी), 7वीं मंजिल, ब्लॉक डी और ई, कर्पूरी ठाकुर सदन, जीपीओए बिल्डिंग, राजीव नगर थाने के पास, आशियाना दीघा रोड, पटना-800025
20	उप महानिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, रांची	झारखंड	एनएसओ (एफओडी), 6वीं मंजिल, महालनोबिस भवन, 164, जी.एल.टी. रोड, कोलकाता-700108
21	उप महानिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	एनएसओ (एफओडी), सीजीओ कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, ई-विंग, डीएफ ब्लॉक सेक्टर-I, साल्ट लेक, कोलकाता-700064

अनुसूची - II			
क्रम सं.	**सांख्यिकी अधिकारी**	**क्षेत्राधिकार**	**पता**
22	उप महानिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	ओडिशा	एनएसओ (एफओडी), कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, आचार्य विहार, भुबनेश्वर-751013
23	उप महानिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	असम	एनएसओ (एफओडी), तृतीय तल, सेंट्रल ब्लॉक, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, बसिष्ठा रोड, दिसपुर गुवाहाटी-781006
24	उप महानिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, इम्फाल	मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम	एनएसओ (एफओडी), थांगमेइबैंड लौरुंग प्योरल लेकेई, इमेमोइनुसानासंगलेन, पी.ओ., इम्फाल-795001
25	संयुक्त निदेशक/निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोहिमा	नागालैंड	एनएसओ (एफओडी), परिवहन आयुक्त कार्यालय भवन, नागालैंड सिविल सचिवालय के सामने, कोहिमा - 797004
26	उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, अगरतला	त्रिपुरा और मिजोरम	श्री राम विला, एसबीआई के पास, पीओ कुंजाबन अगरतला, त्रिपुरा-799006

अनुसूची - III			
क्रम सं.	**न्यायनिर्णयन अधिकारी**	**क्षेत्राधिकार**	**पता**
1	उप महानिदेशक, उत्तरी क्षेत्र, जयपुर	पंजाब, जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र), लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र), हरियाणा, चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान	55, केशव मार्ग, लेन नंबर-3, हवा सड़क, जयपुर-302019
2	उप महानिदेशक, मध्य क्षेत्र, लखनऊ	उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	आईएनएस-IV, सेक्टर-11, विकास नगर, रिंग रोड, लखनऊ-226022
3	उप महानिदेशक, पश्चिम क्षेत्र, नागपुर	गुजरात, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र) और महाराष्ट्र	सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ए-ब्लॉक, ईस्ट विंग, तीसरी मंजिल सेमिनरी हिल्स, नागपुर-440006
4	उप महानिदेशक, दक्षिण क्षेत्र, बेंगलुरु	कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी (संघ राज्य क्षेत्र), आंध्र प्रदेश, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र), तेलंगाना, केरल, और लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	द्वितीय तल, बी-विंग, केन्द्रीय सदन सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, कोमारमंगला, बेंगलुरु-560034

अनुसूची - III			
क्रम सं.	न्यायनिर्णयन अधिकारी	क्षेत्राधिकार	पता
5	उप महानिदेशक, पूर्वी क्षेत्र, एनएसओ, कोलकाता	पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम	6वीं मंजिल, महालनोबिस भवन, 164, जी.एल.टी. रोड, कोलकाता-700108

अनुसूची - IV			
क्रम सं.	अपीलीय प्राधिकारी	क्षेत्राधिकार	पता
1	अपर महानिदेशक, एनएसओ (एफओडी), मुख्यालय	सम्पूर्ण भारत	सांख्यिकी भवन, डी-ब्लॉक, पहली मंजिल, जीपीओए बिल्डिंग, सीबीडी शाहदरा, दिल्ली-110032

[फा.सं. आ.सला./बी-11/डब्ल्यूपीडी/2012]

दिलीप कुमार सिन्हा, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2025

S.O. 3678(E).— In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009), as amended in 2017 (21 of 2017) and through THE JAN VISWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) ACT, 2023 NO. 18 OF 2023 in 2023, read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2024, the Ministry of Commerce & Industry hereby directs Collection of Price Information for WPI 2011-12 and Price and Production Information for forthcoming series of Wholesale Price Index (WPI)/Producer Price Index (PPI)/Index of Industrial Production (IIP) 2022-23 from manufacturing establishments through a statistical survey, hereinafter referred to as 'Collection of Price Information for WPI 2011-12 and Price and Production Information for new series of WPI/PPI/IIP 2022-23' as per the details mentioned in the Schedule – I.

2. The Ministry further appoints the persons as also their assignees in Office, mentioned in the **Schedule II** as Statistics Officers, Adjudicating Officer in **Schedule III** and Appellate Authority in **Schedule – IV** in respect of the geographical units mentioned thereof with reference to the aforesaid direction. Each Statistics Officer, Adjudicating Officer and Appellate Authority shall immediately submit an undertaking in the prescribed format, namely, Form-1 appended to the Collection of Statistics Rules, 2024, to the Additional Director General, Field Operations Division, National Statistical Office, Delhi.

3. The persons authorized by each Statistics Officer, after submission of undertaking in the prescribed format, namely, Form-1 appended to the Collection of Statistics Rules, 2024 to the Statistics Officer, would be engaged in the geographical jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by informants, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary, from informants. In accordance with these duties, each person authorized would carry a photo identity card and a letter of authorization issued by the concerned Statistics Officer. The Statistics Officer shall keep the undertakings of the authorized persons in his safe custody and forward a certificate of having obtained the above undertakings of the Office of the Additional Director General, Field Operations Division, National Statistics Office, Delhi.

4. The statistics collected in schedule for Collection of Price and Production Information for WPI 2011-12 and new series of WPI/PPI/IIP 2022-23 after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at the Office of the Economic Adviser, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry. Subject to the Collection of Statistics Act, 2008 as amended in 2017 (21 of 2017) and through THE JAN VISWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) ACT, 2023 NO. 18 OF 2023 in 2023 and the Collection of Statistics Rules, 2024, the unit level data and the reports, generated from the data through statistical techniques, may be kept in

custody and disseminated by the Office of the Economic Adviser, Department for Promotion of Industry and Internal Trade to the users within and outside the Government, the States/UTs and the public at large as per extant policy guidelines of the Government.

5. All persons engaged in any activity in respect of collection of statistics, processing of data and dissemination with respect to WPI 2011-12 and WPI/PPI/IIP 2022-23 are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 as amended in 2017 (21 of 2017) and through THE JAN VISWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) ACT, 2023 NO. 18 OF 2023 in 2023 and the Collection of Statistics Rules, 2024.

6. Following powers have been delegated to the Statistics Officers:

(a) A Statistics Officer is empowered to depute/authorize officials to collect statistics in respect of the aforementioned direction, to verify information furnished by informants on the basis of business records and other records and to seek clarifications from any owner or occupier or person in-charge of a factory or establishment or management, as the case may be, at the premises where such records are kept. A Statistics Officer is also empowered to depute/authorize officials under the administrative control of any State Government or Union territory Administration, which is willing to collect statistics from any of those factories/establishment for which the Statistics Officer has not deputed/authorized any official under his administrative control.

(b) A Statistics Officer is empowered to give one month notice or for the period deemed fit to each of the informant for furnishing return in the format, specified for the purpose of collection of statistics.

(c) A Statistics Officer is empowered to provide to any informant, the facility of furnishing return in electronic form through a web-based application/portal of certain period, to be specified by him in the notice to be issued to the informant.

Powers of the adjudicating officer: - An adjudicating officer appointed under section 15A of the Act to hold an inquiry and impose penalty, shall also have the powers to-

(i) Call for oral or written evidence on oath or on affidavit from parties including from any other person who has been summoned;

(ii) Peruse or inspect relevant documents, records or copies thereof;

(iii) Summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case. Any appropriate agency including the District Administration shall render such assistance on receiving a reference regarding enforcing the attendance of any person while discharging the duties of the adjudicating officer appointed under the Act.

Appeal against the order of adjudicating officer: -

(1) The appropriate Government may appoint any of its officers, above the rank of adjudicating officer, as an appellate authority under the provisions of the Act.

(2) Whoever aggrieved by the order passed by the adjudicating officer under this Act, may prefer an appeal to the appellate authority, within thirty days from the date of receipt of order, in Form-III.

(3) An appeal may be admitted even after the expiry of the period of thirty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. In case the appeal has been preferred against the order of the adjudicating officer, the operation of the order of the adjudicating officer shall be kept in abeyance, till the disposal of the appeal.

(4) Whenever, such an appeal is received, the appellate authority shall hold a hearing, either in person or virtual or by any other admissible mode, as may be decided by the appellate authority.

(5) The appellate authority shall issue a notice of hearing to the parties, including persons acquainted with the facts and circumstances of the case, by name, date, venue and mode of hearing, along with the relevant documents of the receipt on appeal, at least fifteen days before the scheduled date of hearing.

(6) The notice of hearing may also provide for submission of written communication, which may be relevant for deciding the appeal, by the parties, if they so desire at least five days before the date of hearing.

(7) The notice of hearing shall be served in the following modes, namely: -

(i) By speed post or registered post;

(ii) By electronic mail in case electronic address is available;

and proof of deliveries shall be kept on the record of the case file.

(8) The parties may be present in person or through his duly authorized representative by the specified mode of hearing as decided by the appellate authority including video conferencing, if the facility of video conferencing is available, at the time of hearing of the case.

(9) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit.

SCHEDULE-I

Subject and purpose for collection of statistics:

1. Statistics relating to Basic Price/Ex-factory price, Purchaser's Price and Production from organized manufacturing establishment comprising activities related to manufacturing processes, repair, gas and water supply and cold storage is collected through monthly survey for WPI (2011-12=100) and new series of WPI/PPI/IIP (2022-23=100).

Geographical area for collection of Statistics:

2. The Collection of Price Information for WPI 2011-12 and Price and Production Information for new series of WPI/PPI/IIP 2022-23 is conducted in the whole of India.

Method of Data collection:

3. A Notice will be issued by each Statistics Officer to Informants under his jurisdiction, indicating therein the data by which, the officer or Office to whom, the units for which, and the formats and the manner in which information is required to be furnished, including submission of information in electronic from through a web based application/portal designed for the purpose and made available to informants up to a certain date, specified in the notice.

Nature of informants for whom data may be allowed:

4. The informants are owners or occupiers or persons in-charge, of factories registered under the Factories Act, 1948 or of establishments register under may of the following Acts/Boards/Authority viz, Companies Act, 2013, Shops and Commercial Establishments Act, Societies Registration Act, Cooperative Societies Act, Khadi and Village Industries Board, Directorate of Industries (District Industries Centre) who would be issued notice by Statistics Officer for furnishing information under the aforementioned direction.
5. A Statistics Officer may require furnishing of consolidation information in respect of two or more factories or establishments under a single management operating within a State or Union Territory, in case information is not separately available for individual factories or establishments, through a notice issued to the concerned owner or occupier or person in-charge of the management.

Period during which collection of statistics may be completed:

6. The Survey will start from July, 2025 and continue till next base year revision.

Reference period:

7. Information is required to be furnished for:
   (a) WPI (Base 2011-12=100) till the launch of the new series of WPI.
   (b) WPI/PPI/IIP (Base 2022-23=100): Monthly price data starting from April 2022 till the next revision of the base year.

Nature of information to be collected:

8. The information required relate to Basic Price/Ex-factory price, Purchaser's Price and Production data from organized manufacturing establishment.

Language in which information is to be furnished by informant:

9. An informant shall furnish information is to be prescribed formats, either in Hindi or in English.

Obligation of informant:

10. An owner or occupier or person in-charge of a factory or establishment or management, as the case may be, shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer question in relation to the information sought, as maybe required by the Statistics Officer or a person authorized by him.

Nature of business records and other records which may be inspected:

11. Business records of a unit, such as invoices/GST bill (*comprising of CGST, SGST, IGST and e-way bills*) and balance sheets or any other document in support of the information furnished may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.

The Manner of inspection:

12. The concerned Statistics Officer or a person authorized by him may verify the information furnished under the aforementioned direction on the basis of business records and other records of the unit and seek clarifications, at the premises where such records are kept, from the concerned owner or occupier or a person in-charge of a factory or establishment or management, as the case maybe, or a person authorized by him of the unit.

SCHEDULE - II

Sr.No.	Statistics Officer	Jurisdiction	Address
1	Deputy Director General, Regional Office, Jammu	Jammu & Kashmir (UT) Ladakh (UT)	NSO (FOD),23 B/B Gandhi Nagar, Jammu - 180011
2	Deputy Director General, Regional Office, Shimla	Himachal Pradesh	NSO (FOD), Bosewell Villa, Near Deepak Project, PO Summer Hill, Shimla - 171005
3	Deputy Director General, Regional Office, Mohali	Punjab	NSO (FOD), Building no. 418, Bulk Material Market, Sector- 65, Phase-11, SAS Nagar, Mohali - 160065
4	Deputy Director General, Regional Office, Chandigarh	Haryana & Chandigarh (UT)	NSO (FOD), 6th floor Kendriya Sada, Sec - 9a, Chandigarh - 160017
5	Deputy Director General, Regional Office, Delhi	Delhi	NSO (FOD), Sankhyiki Bhawan, D-Block, 4th floor, GPOA Building, CBD Shahdara, Delhi - 110032
6	Deputy Director General, Regional Office, Jaipur	Rajasthan	NSO (FOD), 70/149-154, Patel Marg, Mansarovar, Jaipur- 302020
7	Deputy Director General, Regional Office, Dehradun	Uttarakhand	NSO (FOD), C-15, Sector- 1, Defence Colony, Dehradun- 248001
8	Deputy Director General, Regional Office, Lucknow	Uttar Pradesh	NSO (FOD), INS - IV Sector - 11, Vikas Nagar, Ring Road, Lucknow-226022
9	Deputy Director General, Regional Office, Bhopal	Madhya Pradesh	NSO (FOD), Vijay Stambh, Hall No. 201 & 205, 2nd floor, M.P. Nagar,Zone - I,Bhopal - 462011
10	Deputy Director General, Regional Office, Raipur	Chhattisgarh	NSO (FOD),2nd Floor Bhakta Mata Karma Commercial Complex, Room No. 8- 25, New Rajendra Nagar, Raipur - 492006
11	Deputy Director General, Regional Office, Ahmedabad	Gujarat, Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu (UT)	NSO (FOD), near Urban Healt Centre, Behind Narayanpura Police Station, Purshotam Nagar, Nava Vadas, Ahmedabad - 380013

SCHEDULE - II			
Sr.No.	**Statistics Officer**	**Jurisdiction**	**Address**
12	Deputy Director General, Regional Office, Mumbai	Maharashtra	NSO (FOD),4th floor, A- 2/3 Wing, Near Konkan Bhawan,CGO Complex Building, CBD Belapur, Navi Mumbai- 400614
13	Deputy Director General, Regional Office, Vijayawada	Andhra Pradesh	NSO (FOD), 5th floor, CGO complex, Industrial Estate, Autonagar, Vijaywada - 520007
14	Deputy Director General, Regional Office, Hyderabad	Telangana	NSO (FOD), 293/7 1st Floor, R & B COMPLEX, A.C. Guards, Hyderabad - 500004
15	Deputy Director General, Regional Office, Bengaluru	Karnataka	NSO (FOD), V Floor, E & F Wing, Kendriya Sadan, 17 Main - 2nd Block, Koramangala, Bengaluru - 560034
16	Deputy Director General Regional Office, Chennai	Tamil Nadu and Puducherry (UT)	NSO (FOD), 'B' Wing, II Floor, III Block. Shastri Bhawan, Haddows Road, Nungambakkam, Chennai-600006.
17	Deputy Director General Regional Office, Thiruvananthapuram	Kerala and Lakshadweep (UT)	NSO (FOD), Block B, Ground Floor, CGO Complex, Poonkulam Vellayani P.O., Thiruvananthapuram-695522.
18	Joint Director/Director, Regional Office, Panaji	Goa and Andaman & Nicobar Islands (UT)	NSO (FOD), Sarvekshana Bhavan, 130 9/1, Goa Housing Board Colony, Porvorin, Bardez, Goa-403521.
19	Deputy Director General Regional Office, Patna	Bihar	NSO (FOD), 7th Floor, Block D & E, Karpuri Thakur Sadan, GPOA Building, Near Rajiv Nagar Thana, Ashiyana Digha Road, Patna-800025.
20	Deputy Director General Regional Office, Ranchi	Jharkhand	NSO (FOD), 6th Floor, Mahalnobis Bhawan, 164, G.L.T. Road, Kolkata-700108.
21	Deputy Director General Regional Office, Kolkata	West Bengal	NSO (FOD), CGO Complex, 2nd Floor, E-Wing, DF Block Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700064.
22	Deputy Director General Regional Office, Bhubaneshwar	Odisha	NSO (FOD), Commercial Complex, 1st Floor, Acharya Vihar, Bhubanewar-751013.

SCHEDULE - II			
Sr.No.	**Statistics Officer**	**Jurisdiction**	**Address**
23	Deputy Director General Regional Office, Guwahati	Assam	NSO (FOD), 3rd Floor, Central Block, Housefed Complex, Basistha Road, Dispur Guwahati-781006.
24	Deputy Director General Regional Office, Imphal	Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh, and Sikkim	NSO (FOD), Thangmeiband Lourung Purel Lekei, Imaemoinusanasanglen, P.O., Imphal-795001.
25	Joint Director/Director, Regional Office, Kohima	Nagaland	NSO(FOD), Transport Commissioner's Office Building. Opposite Nagaland Civil Secretariat, Kohima-797004
26	Deputy Director General, Regional Office, Agartala	Tripura and Mizoram	Sree Ram Villa, near SBI, PO Kunjaban Agartala, Tripura-799006

SCHEDULE - III			
Sr.No.	**Adjudicating Officer**	**Jurisdiction**	**Address**
1	Deputy Director General, North Zone, Jaipur	Punjab, Jammu & Kashmir (UT), Ladakh (UT), Haryana, Chandigarh (UT), Himachal Pradesh, Delhi and Rajasthan	55, Keshav Marg, Lane No-3, Hawa Sadak, Jaipur-302019
2	Deputy Director General, Central Zone, Lucknow	Uttrakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh	INS-IV, Sector-11, Vikas Nagar, Ring Road, Lucknow-226022
3	Deputy Director General, West Zone, Nagpur	Gujarat, Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu (UT) and Maharashtra	CGO Complex, A-Block, Eat Wing, 3rd Floor Seminar Hills, Nagpur-44006
4	Deputy Director General, South Zone, Bengaluru	Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry (UT), Andhra Pradesh, Goa, Andaman & Nicobar Islands (UT), Telangana, Kerala and Lakshadweep (UT)	2nd Floor, B-Wing, Kendriya Sadan C.G.O Complex, Komarmangala, Bengaluru-560034
5	Deputy Director General, East Zone, NSO, Kolkata	West Bengal, Odisha, Bihar, Jharkhand, Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Arunchal Pradesh, Sikkim, Tripura and Mizoram	6th Floor, Mahalnobis Bhawan, 164, G.L.T Road, Kolkata-700108

SCHEDULE - IV			
Sr.No.	**Appellate Authority**	**Jurisdiction**	**Address**
1	Additional Director General, NSO(FOD), HQ	All India	Sankhyiki Bhawan, D-Block, 1st Floor, GPOA Building, CBD Shahdara, Delhi-110032

[F. No. Ec.Ad/B-11/WPD/2012]

DILIP KUMAR SINHA, Deputy Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.08.13 14:52:52 +05'30'